

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2797 / 2023

दिनांक : 18.09.2023

श्री सानुज कुलश्रेष्ठ (RJ00645), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, बारां को दिनांक 17.08.2023 से 02.09.2023 तक 17 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 03.09.2023 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित वीकृत किया जाता है।

श्री कुलश्रेष्ठ की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बारां/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, बारां ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, बारां के पद पर ही की गई।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/13/2011/6033

दिनांक 18.09.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां को उनके पत्रांक 1346 दिनांक 05.09.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री सानुज कुलश्रेष्ठ (RJ00645), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, बारां।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, बारां।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बारां।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, बारां।


सहायक रजिस्ट्रार